न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 108/2021 (Bank Case)

GCMS No. - 2021/

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री सोनू मीना पुत्र श्री रामअवतार (ऋणी / बंधककर्ता)
   पता– वार्ड नं. 5, मीना का मोहल्ला, मेहन्दी, जिला–कोटा (राज.)
   दुसरा पता– मकान नं. 58, स्कूल से फूलचन्द मीना तक, मेहन्दी, तहसील–दीगोद, जिला कोटा (राज.)
   तीसरा पता– सोनू मीना एण्ड श्री चन्द्रप्रकाश मीना, पट्टा नं. 12802, सम्पत्ति खसरा नं. 482, ग्राम मेहन्दी तहसील दीगोद, जिला–कोटा
2. श्री चन्द्रप्रकाश मीना पुत्र रामअवतार मीना (ऋणी)
   पता– वार्ड नं. 5, मीना का मोहल्ला, मेहन्दी, जिला–कोटा (राज.)
   दुसरा पता– मकान नं. 60, स्कूल से फूलचन्द मीना तक, मेहन्दी, तहसील–दीगोद, जिला कोटा (राज.) 325204

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादोन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 27-10-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.05.2018 को 7,00,000/– (अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **सोनू मीना एण्ड श्री चन्द्रप्रकाश मीना की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 12802, खसरा नं. 482, ग्राम मेहन्दी, तहसील दीगोद, जिला कोटा राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफन 2000 स्क्वायर फुट है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– महावीर का मकान, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– सुरेन्द्र का मकान, दक्षिण में– रोड** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 11.12.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 8,26,744/– (अक्षरे आठ लाख छब्बीस हजार सात सौ चवालीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 07.05.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट

जिला ... कोटा

की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 07.05.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया । नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 23.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **सोनू मीना एण्ड श्री चन्द्रप्रकाश मीना की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 12802, खसरा नं. 482, ग्राम मेहन्दी, तहसील दीगोद, जिला कोटा राजस्थान में स्थित हैं, जिसका कुल क्षेत्रफन 2000 स्क्वायर फुट है। जिसकी चर्तु सीमाए– पूर्व में– महावीर का मकान, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– सुरेन्द्र का मकान, दक्षिण में– रोड** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो सबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 27.10.2021 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला ...
कोटा ...